न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–62/2019–20

प्रथम पक्षः–तिलेश्वर साव एवं अन्य, ग्राम–मिश्रौल, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–सोहराई साव, ग्राम–मिश्रौल, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

1	2	3

18/12/2023

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया प्रथम पक्ष तिलेश्वर साव, पिता–स्व0 गिरीधारी साव एवं गीता देवी, पति–तिलेश्वर साव, सभी साकिन–मिश्रौल, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा के अभ्यावेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस वाद में द्वितीय पक्ष सोहराई साव, पिता–स्व0 धनु साव, साकिन–मिश्रौल, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	मधे रकबा
मिश्रौल	24	127	0.46 एकड	0.32 एकड़

इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रक्रिया से संबंधित भूमि प्रथम पक्ष को निबंधित केवाला से प्राप्त है, जिसका दाखिल–खारिज हो चुका है तथा लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है। प्रथम पक्ष का कथन है कि उनके हीं गांव के सोहराई साव, पिता–स्व0 धनु साव के द्वारा उपरोक्त खाता–प्लॉट की भूमि का 0.16 एकड़ भूमि नजायज तरीके से खरीद लिया गया है और खतियानी रकबा के मुताबिक 0.02 एकड़ भूमि का अधिक केवाला करा लिया है तथा दोहरी जमाबन्दी भी करवा लिया है। इन्होंने अनुरोध किया है कि रजिस्ट्री केवाला के अनुसार उनका डीमाण्ड चालू रखा जाय। अपने दावे के समर्थन में इन्होंने निबंधित केवाला की प्रति भी संलग्न किया है।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से यह कहा है कि सर्वे खतियानी रैयत प्रश्नगत भूमि का मखु तुरी था। मखु तुरी के पोता नारायण तुरी ने 0.32 एकड़ भूमि धनु साहु वो गिरीधारी साहु को 500 रू0 में एकरारनामा कर दिया तथा हमेशा के लिए लिख दिया। यह कि धनु साव की मृत्यु के पश्चात् बोधवा देवी जोजे धनु साव के पास एक लाख रूपये में बिक्री केवाला कर दिए, जिसके आधार पर 0.16 एकड भूमि का दाखिल–खारिज हुआ तथा लगान रसीद कट रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गए लिखित कथन एवं संलग्न किये गए राजस्व कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा–मिश्रौल के खाता नं0–24, प्लॉट नं0–127 कुल रकबा–0.46 एकड़, मधे रकबा–0.32 एकड को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा जो मामला लाया गया है उसमें विवाद का कारण 0.02 एकड़ भूमि को लेकर है। प्रथम पक्ष का निबंधित केवाला के आधार पर पूर्व से पंजी–2 में 0.32 एकड़ का जमाबन्दी कायम है तथा लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है। जब खतियानी रकबा–0.46 एकड़ ही हैं तो इस खाते में 0.14 एकड़ भूमि हीं अवशेष बचता है जिससे प्रथम पक्ष का तर्क सही प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा पुनः किस आधार पर 0.16 एकड का भूमि का डीमाण्ड पंजी–2 में चालू कराया गया है।

अतः उपरोक्त स्थिति में अंचल अधिकारी, टण्डवा को यह निर्देश दिया जाता है कि स्थलीय जांच–पड़ताल कर राजस्व कागजातों के आधार पर इस मामले में समूचित कार्रवाई करें, ताकि प्रथम पक्ष के जमाबन्दी की भूमि पर अवैध कब्जा को रोका जा सके और विवाद का समाधान हो सके।

अतः इस वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

18/12/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

18/12/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.16 12:56:50 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner